न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री विनोद कुमार पुत्र वीर भान टहलियानी, जाति सिंधी, निवासी रीको व अन्य – 1		श्री दयानन्द पुत्र कोरालाल, जाति सिंधी, निवासी सालगांव, आबूपर्वत व अन्य – 2

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 4/2022

दिनांक 23 /09/2022

आदेश

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि अंतर्गत मौजा ग्राम आमथला में जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 के खाता सं. 149 अनुसार खसरा नं. 866 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि भबूत सिंह, जयसिंह पिसरान गेनाजी की आयी हुई थी, जिसका रेवेन्यु नक्शा में किसी प्रकार का तरमीम किया हुआ नही था। यह कि प्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 16.10.1996 को भभूत सिंह, जयसिंह पिसरान गेनाजी से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के उक्त भूमि में से 18 बिस्वा भूमि क्रय की , विक्रेता खातेदार ने नक्शा किश्तवार में 866/2 अंकित कर विक्रय विलेख के साथ नक्शा किश्तवार लगाकर पंजीकृत करवाया। यह कि विक्रय विलेख की अनुसूचि स्पष्ट किया कि विक्रय की जाने वाली 18 बिस्वा भूमि सड़क के किनारे पर है एवं चिन्हित भूमि ख.स. 866/1 क्षेत्रफल 0.18 बिस्वा है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2020 में अपनी कृषि भूमि को डवलप करना चाहा, तब नक्शा किश्तवार की नकल प्राप्त की तब मालूम चला कि नक्शा लट्ठा में विक्रय विलेख अनुसार तरमीम नही कर अप्रार्थी सं. 1 व 2 से रेवेन्यु कर्मचारियो ने मिलीभगत कर नक्शा लट्ठा में गलत तौर पर तरमीम कर दी है एवं इस अनुसार ऑनलाईन मे भी भू नक्शा गलत तरमीम शुदा दर्ज कर दिया है। अतः नक्शा किश्तवार एवं नक्शा लट्ठा में विक्रय विलेख अनुसार शुद्धि कर तरमीम करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब पेश कर कथन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत मेन्टनेबल नही हैं क्योंकि धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत किसी लिपिकीय गलती और गलतियो को विहित रीति से तभी शुद्ध किया जा सकता है अथवा करवाया जा सकता है जब ऐसा किया जाना हितबद्ध पक्षकार अर्थात् दोनो तरफ के पक्षकार स्वीकार करें व पहले कभी राजस्व अभिलेख ऐसा रहा हो जैसा किए जाने बाबत् इस धारा के तहत वर्तमान में मांग की जा रही हो। यह कि इस प्रकरण में यह दोनो शर्ते पूरी नही हो रही है अतः यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी गई व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो, साक्ष्यो व जवाब सरकार का अवलोकन किया।

वस्तुतः धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों का शुद्धिकरण किया जाने का प्रावधान है, इस हेतु प्रार्थी को यह सिद्ध करना होगा, कि राजस्व अभिलेख में त्रुटि है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा किए गए कथनों के पक्ष में प्रार्थीगण ने किसी प्रकार का स्वीकार्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है तथा पूर्व में राजस्व अभिलेख ऐसा रहा हो जैसा किए जाने के लिये इस धारा के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23/9/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कनिष्क कटारिया ,आई.ए.एस.)

सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.14 10:10:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner